


फर्द अहकाम  
(नियम 26)

ज अदालत \_\_\_\_\_ मुकाम \_\_\_\_\_  
 बनाम \_\_\_\_\_  
 क्रम मुकदमा \_\_\_\_\_ नं. \_\_\_\_\_ सन् \_\_\_\_\_  
 20-115 116 2007

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
17-1-7	<p>पञ्जावली फेरा इरुं। व्हीलय करीम उपस्थित। 10-0-70 राजस्वीय कार्य के खादर पचाई ही व्हीलय करीम को गवाह उपस्थित नहीं। पार-ले सहायता वाईलाय से पञ्जावली दिनांक 28-2-77 को फेरा ही B.O</p>	
28-2-77	<p>पञ्जावली फेरा इरुं। व्हीलय वादीगण उपस्थित नहीं। व्हीलय प्रतिवादीगण उपस्थित। वादीगण व वादीगण के व्हीलय को जितनी ही मरकब विधिवाय गवाह के निर्धारण के उपस्थित भी उपस्थित नहीं होने के कारण वादीगण का वाद प्रत रूकम हाजरी व रूकम फेरी के रूकबी किया जाता है। पञ्जावली फेरा सुभार भी जाकर दफतन वाईलाय है।</p> <p style="text-align: center;">   <b>उपखण्ड अधिकारी</b>  <b>मण्डल</b> </p>	